कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur@yahoo.comवेब–साईट jodhpurjda.orgPhone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांकः F37(2)/ नि.आ./बीपीसी(एलपी)/का.वि./2018 /3792 दिनांकः– 14/02/18

—:कार्यवाही विवरणः— (कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड)

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 01/2018 वीं बैठक दिनांक 07.02.2018 को अपरान्ह 12.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	01	कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड हेतु प्राप्त प्रकरणों के संबंध में।	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (उपविभाजन, पुनर्गठन व सुधार) नियम, 1975 में औद्योगिक भूखण्ड हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर का उल्लेख है, साथ ही राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.04.2005 में परिधि नियंत्रण पट्टी में अनुज्ञेय उपयोगो में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ यथा– मोटल, रिसोर्ट हेतु क्रमशः 4000 वर्गमीटर, 10000 वर्गमीटर न्यूनतम क्षेत्रफल निर्धारित है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर रखा जाना उचित होगा। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.02.2013 के अनुसार न्यूनतम सडक की चौडाई 24 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। 3. सैटबैक, भू–आच्छादन, एफ.ए. आर. भवन की अधिकतम ऊँचाई, पार्किंग सुविधा व अन्य मापदण्ड पूर्व में कृषि आधारित उद्योग योजना हेतु निर्धारित मापदण्डों अनुसार रखे जाने उचित होंगे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 5. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी अन्य परिपत्र/आदेशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी। **समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर बाद विचार–विमर्श कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड हेतु निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–** 1. न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर 2. अधिकतम भू–आच्छादन 25 प्रतिशत 3. न्यूनतम सडक की चौडाई 24 मीटर 4. सैटबैक 4000 वर्गमीटर से 10000 वर्गमीटर तक 15 मी.–10 मी.–10 मी.–10 मी. एवं 10000 वर्गमीटर से अधिक हेतु 18 मी.–10 मी.–10 मी.–10 मी. 5. बी.ए.आर. 0.6 (अधिकतम) 6. भवन की अधिकतम ऊँचाई 12 मीटर 7. पार्किंग सुविधा एक समतुल्य कार ईकाई (ईसीयू) प्रति 100 वर्गमीटर बी.ए.आर. 8. अन्य प्रावधान एकीकृत भवन विनियम 2017 अनुसार रखे जावे। 9. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) विभाग को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डो की टुकडो में रजिस्ट्री न की जावे।

14/02/2018.

(पी.आर.बेनीवाल)
निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,

com. P/D:\2018\LPC\MINUTES/GENRAL AGROBASE

क्रमांक: F37(3) / नि.आ. / बीपीसी(एलपी) / का.वि. / 2018 / 3793-3800 दिनांक:- 14/02/18

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियान्त्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
7. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
8. उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
9. विशेषाधिकारी अध्यक्ष, जो.वि.प्रा. जोधपुर को सूचनार्थ।
9. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की बेवसाईट पर अपलोड करें।

14/02/2018.

निदेशक (आयोजना),

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 01 / 2018 वीं बैठक दिनांक 07.02.2018 को जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री महेन्द्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	संयोजक
3.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्री श्रवण कुमार उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
6.	श्री अनिल कुमार पूनिया, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
7.	श्रीमति चंचल वर्मा, उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर।	सदस्य
8.	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
9.	श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव

14/02/2018.

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)